रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2011, शनिवार/अग्रहायण 27–पौष 3, 1933
No. 25] NEW DELHI, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2011, SATURDAY/AGRAHAYANA 27—PAUSA 3, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2011

का.नि.आ. 74.—चूंकि कर्नल डी.सी. शर्मा, द्वारा त्यागपत्र दिए जाने एवं जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा उसे स्वीकार किये जाने के परिणामस्वरूप छावनी बोर्ड, मेरठ की सदस्यता में एक रिक्ति हुई है । अत: केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उपधारा (8) के अनुसरण में स्टेशन अफसर कमांडिग मेरठ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित आदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये निम्नलिखित सेना अफसर को छावनी बोर्ड, मेरठ के मनोनीत सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है :

(i) आई.सी.-37380 एफ कर्नल टी.आर. देवगन

[फा.सं. 14(1)/2011/डी (क्यू एंड सी)]

अशोक कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th December, 2011

S.R.O. 74.—Whereas one vacancy has occured in the membership of the Cantonment Board, Meerut by virtue of resignation of IC-34767Y Col DC Sharma and acceptance thereof by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command, the Central Government, in pursuance of sub-section (8) of Section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), hereby notifies the following military officer nominated by name by order in writing by the Officer Commanding Meerut Station in exercise of powers conferred upon him under clause (f) of sub-section (3) of Section 12 of the said Act, as nominated member of Cantonment Board, Merrut :

(i) IC-37380F Col TR Devgun

[F.No. 14(1)/2011/D (Q & C)]

ASHOK KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By absorption and failing which by direct recruitment. **Note :** The maintenance of seniority and promotion of each cadre shall be done separately.	**Absorption :** Persons serving in similar or equivalent or higher grade in lower formations of Ministry of Defence and possessing educational qualifications prescribed for direct recruit in Column (7) and are well conversant with the duties of the trade. **Note :** For the purpose of appointment on aborption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— (i) General Officer Commanding or Director or Deputy Director or Additional Director or Commandant or Officer-in-charge or Officer Commanding or Principal or Group Commander or Inspector or Chief Engineer or Chief Engineer Project or Colonel Adm. —Chairman (ii) Senior Administrative Officer or Establishment Officer —Member (iii) An officer of the rank of Lieutenant Colonel or Major or equivalent rank from an unconnected Department —Member	Not applicable

[F. No. 15203/14/MP-4(Civ)(a)/RR/793/D(Appts.)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 दिस्म्बर, 2011

का.नि.आ. 78.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' (रेखांकन) पद भर्ती नियम, 1999 को, जहाँ तक उनका संबंध नक्शानवीस श्रेणी-II के पद से है, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक और मुख्य नक्शानवीस भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध मुख्य नक्शानवीस के पद से है और रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' (रेखांकन) पद

भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेखाचित्र) और ज्येष्ठ नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, (समूह 'ख' पद) रेखाचित्र भर्ती नियम, 2011 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (रेखाचित्र) [तत्कालीन मुख्य नक्शानवीस और मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-II]	78* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. में, ऐसे वरिष्ठ नक्शानवीस, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) संबद्ध क्वालिटी आश्वासन से अपर महानिदेशक —अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक —सदस्य (iii) संबद्ध विद्या शाखा से निदेशक या संयुक्त निदेशक —सदस्य (iv) संबद्ध विद्या शाखा से भिन्न विद्या शाखा से निदेशक या संयुक्त निदेशक —सदस्य (v) उप निदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ नक्शानवीस [तत्कालीन नक्शानवीस श्रेणी-I और नक्शानवीस श्रेणी-II]	337* (2011) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं । **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

(7)	(8)	(9)
आवश्यक :— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विद्या में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य । **वांछनीय :—** ऑटोमेटिड कम्प्यूटर ऐडेड डिजाइन (ऑटोकैड) का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम । **टिप्पण 1:** सही विद्या प्रत्येक भर्ती के समय उपदर्शित की जाएगी । **टिप्पण 2:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	नहीं	दो वर्ष ।

(10)	(11)
25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा)	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में, ऐसे नक्शानवीस, जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) संबद्ध क्वालिटी आश्वासन से अपर महानिदेशक —अध्यक्ष (ii) प्रशासनिक निदेशालय से कोई संयुक्त निदेशक —सदस्य (iii) संबद्ध विद्या शाखा से निदेशक या संयुक्त निदेशक —सदस्य (iv) संबद्ध विद्या शाखा से भिन्न विद्या शाखा से निदेशक या संयुक्त निदेशक —सदस्य (v) उप निदेशक (प्रशासन-10) —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए/86320/आर आर/ड्राइंग/डी जी क्यू ए/प्रशासन-10/2655/डी(क्यू ए)/2011]

सुभाष चन्द, अवर सचिव

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 12th December, 2011

S.R.O. 78.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General Quality Assurance Group 'C' (Drawing) Posts Recruitmlent Rules, 1999 in so far as they relate to the post of Draughtsman Grade-II, the Department of Defence Production and Supplies, Directorate General Quality Assurance Senior Scientific Assistant and Chief Draughtsman Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Chief Draughtsman and the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' (Drawing) Posts Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such superssion, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Technical Officer (Drawing) and Senior Draughtsman, in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, (Group 'B' posts) Drawing Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay or pay Scale.—The number of the said post, their classification and the Pay Band and Grade Pay or the pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay scale	Whether selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Junior Technical Officer (Drawing) [Erstwhile posts of Chief Draughtsman and Chief Draughtsman Grade-II]	78* (2011) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service (Group 'B', Gazetted), Non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300–34800 plus Grade pay of Rs. 4600	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion :** Senior Draugtsman in the Pay Band 2, Rs.9300—34800 and Grade Pay of Rs. 4200 with five years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :— 1. Additional Director General Quality Assurance concerned —Chairman 2. Any Joint Director from Administration Directorate —Member 3. Director or Joint Director from the Disciplined concerned—Member 4. Director or Joint Director from Discipline other than concerned Discipline —Member 5. Deputy Director (Administration-10) —Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Draughtsman [Erstwhile posts Draugtsman Grade-I and Draugtsman Grade-II]	337* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-2, Rs. 9300–34800 plus Grade pay of Rs. 4200	Selection	Not exceeding thirty years. **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)
Essential Diploma in Engineering or Technology in relevant discipline from a recognized University or equivalent **Desirable** : Certificate course in Automated Computer Aided Design (AUTOCAD) **Note 1:** The exact discipline shall be indicated at the time of each recruitment. **Note 2:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.	No	Two Years

(10)	(11)
25% by promotion 75% by direct recruitment. (Direct recruitment through Staff Selection Commission)	**Promotion :** Draugtsman in the Pay Band-1 Rs. 5200—20200 with Grade Pay of Rs. 2400 with ten years' regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation of direct recruits) consisting of :— 1. Additional Director General Quality Assurance concerned —Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(12)	
2. Any Joint Director from Administration Directorate	—Member
3. Director or Joint Director from the Discipline concerned	—Member
4. Director or Joint Director from Discipline other than the concerned Discipline	—Member
5. Deputy Director (Administration-10)	—Member

[F. No. A/86320/RR/Drawing/DGQA/Adm-10/2655/D(QA)/2011]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

का.नि.आ. 79.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सेना समूह 'ग' (अनौद्योगिक) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, सेना की निम्न विरचनाओं में रसोइया/रसोइया विशेष श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना समूह 'ग' (रसोइया/रसोइया विशेष श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।